<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112022-239981 CG-DL-E-02112022-239981

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4871] No. 4871] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसुचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5090(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 30 नवंबर, 2012 में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2809(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, मद संख्यांक (ii) और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियाँ के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- " (iii) श्रीमती जी शशिकला, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक;
  - (iv) श्री किशोर गेम्बलि. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक:
  - (v) श्रीमती रिमझिम कुमारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ।"।

[फा. सं. एक्स.11014/5/2021-डीआर] डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

7269 GI/2022 (1)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2809(अ), तारीख 30 नवंबर. 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

# (Department of Health and Family Welfare)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd November, 2022

**S.O.** 5090(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) *vide* number S.O. 2809(E), dated the 30<sup>th</sup> November, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30<sup>th</sup> November, 2012, namely,—

In the said notification, after item number (ii) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"

- iii) Smt. G. Sasikala, Senior Scientific Assistant;
- (iv) Shri Kishor Gembali, Junior Scientific Assistant;
- (v) Smt. Rimjhim Kumari, Junior Scientific Assistant.".

[F. No. X.11014/5/2021-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2809(E), dated the 30<sup>th</sup> November, 2012.